आ0सं0:-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-25/2022.....दिनांक-

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आदेश

संवेदक, अजय कुमार पाण्डेय, ग्राम कन्हरा हरदास अर्दा गोपालपुर, पो०-कन्हैया, थाना बोचही, जिला मुजफ्फरपुर, पिनकोड-843118 द्वारा मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में 10 कोर्ट भवन(जी०+3) एवं 10 कोर्ट भवन में (जी०+2) में दो-दो अदद लिफ्ट वेल का निर्माण कार्य के निविदा में गलत अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित करने के कारण कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-874 दिनांक-26.04.2022 द्वारा संवेदक के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के आलोक में मुख्य अभियंता (उत्तर) के पत्रांक-774 दिनांक-22.08.2022 के द्वारा कार्रवाई करने की अनुशंसा अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को की गयी। तत्पश्चात् अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधित बैठक में इस पर विचार किया गया तथा विचारोपरांत संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उनके निबंधन को एक वर्ष के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया ।

उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-5629 of 2023 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-12.05.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया:-

"Reading of Rule 11(a)(ix) and 11(b)(ii), it is evident that if there is any malpractice in respect of sub-clause (vi) to (xii) of Rule 11(a), invariably, the concerned authority is empowered to blacklist the concerned contractor. In other words, for suspension of registration the relevant malpractice clauses are (i) to (v) of Rule 11(a), whereas, the allegations against the petitioner would fall under sub clause(ix), therefore, authority is required to punish the petitioner only by blacklisting him in accordance with due procedure.

In view of these facts and circumstances, the petitioner has made out a case. Accordingly, the order vide Memo No.25/2022 dated 16.01.2023 (Annexure-8) stands set aside, reserving liberty to the concerned authority to invoke appropriate clause(s) of Rules 2007 and proceed in accordance with law. If the authority intends to take any action against the petitioner, in that event, all formalities shall be completed like Patna High Court CWJC No.5629 of 2023(4) dt.12-05-2023 5/5 issuance of show-cause notice, receipt of petitioner's explanation and thereafter passing a speaking order after due consideration of each of the contentions to be raised by the petitioner in his explanation. The concerned authority is hereby directed to take note of Supreme Court's decision, namely, UMC Technologies Pvt. Ltd. vs. Food Corporation of India and Anr., reported in (2021) 2 SCC 551 and later decision in the case of Isolators and Isolators Through Its Proprietor Mrs. Sandhya Mishra vs. Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitran Co. Ltd and Anr., reported in 2023 Livelaw (SC) 330 (Para-34).

Accordingly, the writ petition stands allowed."

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-348 दिनांक-16.01.2023 को रद्द किया जाता है ।

ह0/-
(राकेश कुमार)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-25/2022 पटना,दिनांक-

स्पीडपोस्ट प्रतिलिपि:-संवेदक, अजय कुमार पाण्डेय, ग्राम-कन्हरा हरदास अदी गोपालपुर, पो०-कन्हरा, थाना-बोचहाँ, जिला-मुजफ्फरपुर, पिनकोड-843118 का निबंधन संख्या-BCD-Class-III-321033 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-25/2022.....(5891) पटना,दिनांक-20/4/22

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग,/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, **प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/4/22

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव